

:: आदेश ::

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.1(12)एफडी (रूल्स)/2005 दिनांक 06.02.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिवसों के उपार्जित अवकाश समर्पित करने के फलस्वरूप समर्पित अवकाश के समतुल्य दिवसों के अवकाश वेतन के नकद भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए जारी की जाती है -

क्र. सं.	प्राचार्य का नाम एवं महाविद्यालय का नाम	समर्पित उपार्जित अवकाश
1.	डा. दिलीप कुमार जैन, प्राचार्य, राज. कन्या महा. बांसवाडा	15
2.	श्री हरिराम रोलन, प्राचार्य, राज. महा. झुझुनुं	15
3.	डा. ललिता मलिन्दा, प्राचार्य, राज. महा. देवली	15
4.	डा. एम.आर. बारूपाल, प्राचार्य, राज. महा. झालावाड	15
5.	डा. एम.डी. गौरा, प्राचार्य, राज. लोहिया महा. चूरू	15
6.	डा. पूरणमल, प्राचार्य, राज. महा. भीनमाल	15
7.	डा. प्रेमबिहारी शर्मा, प्राचार्य, राज. महा. शिवगंज	15
8.	श्री प्ररितोष चन्द्र दूगड, प्राचार्य, राज. कन्या महा. झूंगरपुर	15
9.	श्री राजेश शुक्ला, प्राचार्य, राज. कन्या महा. दौसा (वर्तमान में - संयुक्त निदेशक, निदेशालय)	15
10.	श्री सुभाष चन्द्र, प्राचार्य, श्री कल्याण महा. सीकर	15
11.	श्री सुआलाल परिहार, प्राचार्य, राज. महा. प्रतापगढ	15
12.	डा. आर.एस. खोलिया, प्राचार्य, राज. कला. महा. अलवर	15

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित प्राचार्यों की सेवा पुस्तिका में उक्त दिवसों का उपार्जित अवकाश कम कर दिया गया है।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सम्बन्धित प्राचार्य।
2. व्यक्तिगत पत्रावली सम्बन्धित प्राचार्य।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता, वेब-साइट प्रभारी, निदेशालय।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर